छत्तीसगढ़ विधान सभा

मार्च-अप्रैल, 2012 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 2 अप्रैल, 2012 (चैत्र 13, 1934)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2011-2012 के बजट की तृतीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा **पटल पर रखेंगे.**

(2) श्री रामविचार नेताम, जल संसाधन मंत्री, छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 (क्रमांक 20 सन् 2006) की धारा 55 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 11-3/06/आया./40, दिनांक 24 नवम्बर, 2011 **पटल पर रखेंगे.**

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री अजीत जोगी, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, डॉ. शिव कुमार डहरिया, सदस्य, बिलासपुर जिले के पेण्ड्रारोड थाना के पास एक व्यक्ति से रुपये लूटकर हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री फूलचंद सिंह, सदस्य, भरतपुर-सोनहट विधान सभा क्षेत्र के जनपद पंचायत भरतपुर के गांवों में विद्युत कटौती होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय 30 मिनट

श्री दयालदास बघेल, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि -छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 2 सन् 2012) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

रायपुर
दिनांक 1 अप्रैल, 2012

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.